

राजस्थान सरकार  
राजस्व वृग्रुप-६ विभाग

क्रमांक:- पा। १०४। राज-५/९४ / ९  
- : अधिसूचना :-  
=====

जयपुर, दिनांक:- ७-३-७८  
~~७-३-७८~~

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ व १९५६ का राजस्थान अधिनियम संख्या १५ व की धारा २६। की उप-धारा १२ व द्वारा प्रदत्त लक्षणों का प्रयोग करते हुए राज्य नरकार, राजस्थान भू-राजस्व व भूमि अभिलेख व नियम, १९५७ को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अथवा :-

- १० सेक्षास नाम और प्रारम्भ -१५ व इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व व भूमि अभिलेख व संशोधन व नियम, १९९८ है।
- ११ उक्त १५ व ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रदूष्ट होती है।
- १२ उक्त नियमों के नियम २७३ के उप-नियम १४ व के छठे १५ व के परन्तुक में अभिव्यक्ति "अनुसूचित जाति / जनजाति" के पश्चात और शब्द " और " के पूर्व अभिव्यक्ति " वृक्ष राज्य कर्पारी के आश्रित " अन्तःस्थापित को जाधेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

१५ व के० पौ० सिद्धल १५  
शासन उप सचिव

प्राप्तीज़/